नॉर्दर्नकोलफील्ड्सलिमिटेड
(मिनीरत्नकंपनी)
(कोलइण्डियालिमिटेडकीअनुषंगीकंपनी)

Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

महाप्रबंधक कार्यालय / Office of the General Manager
CIN- U10102MP1985GOI003160
An ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO45001 Certified Company
बीना परियोजना, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.) पिन- 231220 / Post- Bina Project, Distt- Sonebhadra (U.P.)- 231220
Phone :05446-276279 (O), 267280 (R) e-mail :cgmbin.ncl@coalindia.in Website :www.nclcil.in

क्र: बीना/ उ०प्र०/ वन/ 2025/ 69 दिनांक: 23.08.2025

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनूकूट वन प्रभाग,
उ०प्र० वन विभाग

विषय:- जनपद - सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० आरक्षित वन भूमि के लिए 61 हे० degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम को सहमति प्रदान करने बावत्।

संदर्भ:-

1. प्रस्ताव संख्या :- FP/UP/MIN/24551/2017
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक: 17.12.2024; व 17.03.2025
3. आपके कार्यालय से EDS पत्रांक:- 4366/ रेनुकूट/ 15-108 दिनांक: 24.05.2025
4. इस कार्यालय का पत्रांक: बीना/ उ०प्र०/ वन/ 2025/ 67; दिनांक: 23.08.2025 (प्रति संलग्न)
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ, का पत्रांक: 621/ 11-सी- FP/ UP/ MIN/ 24551/ 2017: दिनांक: 20.08.2025 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में बीना परियोजना द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को दिनांक 09.08.2025 को दोगुने वन भूमि (double degraded forest) क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) करवाने हेतु उचित दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था।

इसके पश्चात् दिनांक 20.08.2025 को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय द्वारा उप वन महानिदेशक (केंद्रीय), भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) को इस प्रकरण में उचित दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त जानकारी आपके सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

स: धन्यवाद

भवदीय
23.08.25
क्षेत्रीय महाप्रबंधक
बीना परियोजना, एन०सी०एल०

प्रतिलिपि: महाप्रबंधक (पर्या०/ वन), एन०सी०एल०, सिंगरौली।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 621 / 11–सी–FP/UP/MIN/24551/2017, लखनऊ, दिनांकः अगस्त 20 ,2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत नॉर्दन कोल फील्ड्स लि0 की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे0 आरक्षित वनभूमि के लिए 61 हे0 degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित सी0ए0 स्कीम को सहमति प्रदान करने बावत्।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी / यू0पी0 / 05 / 34 / 2022 / एफ0सी0 / 991, दिनांक 29.03.2023 एवं क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, बीना परियोजना, बीना–सोनभद्र का पत्रांक–बीना / उ0प्र0 / वन / 2025 / 67, दिनांक 09.08.2025 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में 02 बिन्दुओं पर आपत्तियॉ की गयी है, जोकि निम्नानुसार हैः–

1. No non-forest land is available for raising Compensatory Afforestation.
2- No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chhote/bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of the State forest Department is available for raising Compensatory Afforestation.

उक्त के क्रम में क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, बीना परियोजना, बीना–सोनभद्र के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 17.12.2024 के Annexure-II एवं पत्र दिनांक 17.03.2025 के Annexure-III में सी0ए0 से सम्बन्धित दिशा–निर्देश के क्रम में Central Public Sector undertaking के लिए दोगुने वन भूमि (double degraded forest) क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) करवाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में उचित दिशा–निर्देश देने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

20.08

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 621 / 11–सी–FP/UP/MIN/24551/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
4. क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, बीना परियोजना, बीना–सोनभद्र।

20.08

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

नॉर्दर्नकोलफील्ड्सलिमिटेड
(मिनीरत्नकंपनी)
(कोलइण्डियालिमिटेडकीअनुषंगीकंपनी)

Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

महाप्रबंधक कार्यालय / Office of the General Manager
CIN- U10102MP1985GOI003160
An ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO45001 Certified Company
बीना परियोजना, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.) पिन- 231220 / Post- Bina Project, Distt- Sonebhadra (U.P.)- 231220
Phone :05446-276279 (O), 267280 (R) e-mail :cgmbin.ncl@coalindia.in Website :www.nclcil.in

क्र: बीना/ उ०प्र०/ वन/ 2025/67

दिनांक: 09.08.2025

सेवा में,
मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी,
उ०प्र० वन विभाग
लखनऊ, उ०प्र०, 226001

विषय:- जनपद - सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० आरक्षित वन भूमि के लिए 61 हे० degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम को सहमति प्रदान करने बावत्।

Adso
13·08
CCF/Nodal
11/8/25

संदर्भ:-

1. प्रस्ताव संख्या :- FP/UP/MIN/24551/2017
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक: 17.12.2024; व 17.03.2025
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग का EDS पत्रांक:- 2725/ रेनुकूट/15-108 दिनांक: 10.02.2025; एवं EDS पत्रांक:- 4366/ रेनुकूट/ 15-108 दिनांक: 24.05.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में यह अवगत कराना है कि बीना परियोजना, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अंतर्गत स्थित एक कोयला खदान है एवं एन०सी०एल० एक भारत सरकार की अनुषंगी कंपनी (Central PSU) है।

बीना परियोजना द्वारा बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० वन भूमि कोयला खनन हेतु हस्तांतरण करने का प्रस्ताव Parivesh 1.0 में प्रस्ताव संख्या :- FP/UP/MIN/24551/2017 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।

इसमें यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए पत्र दिनांक 09.02.2023 (**Annexure - I**) के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम को संदर्भित करते हुए इस प्रस्ताव पर निम्न 2-point query लगाई गई:

State Govt. should provide following certificates:-

1. No non-forest land is available for raising Compensatory Afforestation.

UKT

2. No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/ chhote/ bade/ jharka jungle which is not under the management and/ or administrative control of the State Forest Department is available for raising Compensatory Afforestation.

इस संबंध में बीना परियोजना द्वारा Compensatory Afforestation हेतु गैर भूमि प्राप्त करने के लिए जिला स्तर से सतत प्रयास किए गए। परंतु इस संबंध में जिला स्तर से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

इस दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.12.2024 (**Annexure - II**) को CA संबन्धित निम्न दिशानिर्देश जारी किए गए:

*"As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, projects **of Central Government entities/CPSU** and captive coal blocks of the State PSUs are eligible for raising **CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted**. Accordingly, **the State Government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA** unless in cases wherein the Central Government Agencies/CPSUs or State Government PSUs with captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the State Government/UT Administration is willing to provides non-forest land on such terms and condition which is agreed by the Central Government Agencies/CPSUs or State Government PSUs in case of captive coal blocks."*

इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश दिनांक 17.03.2025 (**Annexure - III**) द्वारा पुनः इस पर स्पष्टीकरण दिया गया जो कि निम्नानुसार है:

i. As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, there is no requirement of certificate from the State Government certifying the non-availability of the non-forest land for the projects of Central PSU/entities and captive coal blocks of the State PSUs.

ii. The provisions of the amendment Rules 2024, have further been clarified by the Central Government in its Guidelines issued on 17.12.2024 (copy enclosed). The same may be adhered to by the processing authorities in the State.

उपरोक्त पत्रों से यह स्पष्ट है कि Central Public Sector Undertakings के लिए दोगुने वन भूमि (double degraded forest) क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) करवाने का प्रावधान उपलब्ध है।

अतः परियोजना द्वारा मंत्रालय के दिशानिर्देश दिनांक 17.12.2024 को संदर्भित करते रेनूकूट वन प्रभाग, उ०प्र० वन विभाग को दिनांक 05.01.2025 को Parivesh 1.0 में EDS reply भेजा गया (**Annexure - IV**)। इसके पश्चात् रेनूकूट वन प्रभाग द्वारा दिनांक 10.02.2025 एवं 24.05.2025 को EDS raise किया गया (**Annexure - V**) जिसमें यह उल्लेख किया गया कि:

"भारत सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 17.12.2024 के क्रम में उ०प्र० शासन/ मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के स्तर से अनुपालन किए जाने हेतु कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। निर्देश प्राप्त होने के उपरांत ही निर्देशानुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।"

अत: आपसे यह अनुरोध है कि इस संबंध में रेनूकूट वन प्रभाग को उचित दिशानिर्देश जारी करने का कष्ट करें जिससे इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में अत्यंत सहायता मिलेगी।

स: धन्यवाद

भवदीय

10/08/2025

क्षेत्रीय महाप्रबंधक
बीना परियोजना,
एन०सी०एल०

प्रतिलिपि:

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग, उ०प्र० वन विभाग।
2. महाप्रबंधक (पर्या०/ वन), एन०सी०एल०, सिंगरौली।

Annexure-I

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2548/11–सी–FP/UP/Min/24551/2017, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 09, 2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 आरक्षित वनभूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक 8वी / यू0पी0 / 05 / 34 / 2022 / एफ0सी0 / 25, दिनांक 12.04.2022, मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक–2625 / मी0क्षे0 / 33, दिनांक 25.01.2023 एवं पत्रांक–1560 / मी0क्षे0 / 33, दिनांक 31.10.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के उपरोक्त पत्रांक–2625 / मी0क्षे0 / 33, दिनांक 25.01.2023 एवं पत्रांक–1560 / मी0क्षे0 / 33, दिनांक 31.10.2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्रों की छायाप्रतियाँ सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख पेनड्राइव सहित इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार (पेनड्राइव)।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2548 /11–सी–FP/UP/Min/24551/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार (पेनड्राइव)।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
3. महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, बीना परियोजना, बीना–सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-181

Annexure II / P1

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi: 110003
Dated: December, 2024

To

The Addl. Chief Secretaries of Forests/Principal Secretary (Forests),
All States Governments and Union territory Administrations

Sub: Streamlining of the approval process with regards to compensatory afforestation as envisaged in the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 as amended on 20.09.2024 – reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the above subject and toinform that based on the references received from the Ministry of Mines, and Ministry of Coal, the provisions related to raising of compensatory afforestation, as envisaged in the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 as amended on 20.09.2024, have been reviewed by the Ministry and after due deliberations, the Central Government, in accordance with the provisions of section 3C of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 hereby issues the following clarifications:

i. Provisions of Rule 14(1) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, provides that the non-forest land identified for raising Compensatory Afforestation (CA) is to be notified as Protected Forests before final approval (Stage-II) approval is granted by the Central Government. However, in cases where non-forest land identified for CA has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department (SFD), the Central Government may accord final approval keeping in view the fact that provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 become applicable on such lands being entered as forest in government record/record of rights.

ii. In such cases, referred in para (i) above, the non-forest land forest land proposed for CA, shall be notified as Protected Forest under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 of local forest Act before handing over of forest land to the User Agency by the State Government. The Nodal Officer, after notification of such non-forest lands, shall upload a copy of said notification on the PARIVESH portal.

iii. For the purpose of rule 13(4)(a) of the States or Union territory Administrations, having forest area more than 33% of their total geographical area, concerned State Government/UT Administrationmay authorise a suitable officer to issue certificate of non-availability of the suitable non-forest land for raising CA.

iv. As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, projects of Central Government entities/CPSU and captive coal blocks of the State PSUs are eligible for raising CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted. Accordingly, the State Government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA unless in cases wherein the Central Government

Agencies/CPSUs or State Government PSUs with captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the State Government/UT Administration is willing to provides non-forest land on such terms and condition which is agreed by the Central Government Agencies/CPSUs or State Government PSUs in case of captive coal blocks.

v. With regards to the applicability of the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024 in respect of proposals of the Central Agencies/PSUs and captive coal blocks of the State PSUs which were granted 'in-principle' approval stipulating CA over non-forest land, the following clarification is given in this regard:
   a. Proposals, which were submitted by the States/UTs before notification of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, along with the proposal of raising CA over degraded forest land (DFL) and were granted 'in-principle' approval stipulating CA over non-forest land (NFL), shall be allowed to submit compliance of 'in-principle' approval along with CA proposal over DFL in lieu of NFL. The Central Government will consider and grant final approval in such cases stipulating CA over DFL.
   b. Proposals, which were submitted by the States/UTs along with CA proposal over non-forest land and were granted 'in-principle' approval stipulating CA over non-forest land (NFL), can also be allowed to submit compliance of 'in-principle' approval along with CA proposal over DFL provided the non-forest land proposed for CA is not transferred and mutated in favour of the State Forest Department. In such cases, the Central Government or its Regional Office, based on the request of the State/UT Government or user agency, shall amend the condition of in-principle approval to raise CA over DFL on a case to case basis and subsequently the User Agency shall submit the compliance of in-principle for the obtaining the 'final' approval.

In view of the above, the State Government and Union territory Administrations are requested to take into consideration the guidelines mentioned hereinabove while considering the proposals submitted under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Signed by
Charan Jeet Singh
Date: 17-12-2024 13:56:41

(Charan Jeet Singh)
Scientist 'E'

Copy to:

1. Director, PMO, South Block, New Delhi
2. Secretary, Ministry of Mines /Coal /Steel/ Power/ Railways/ MoRT&H/ Defence/MHA
3. Secretary, Ministry of Defence, Government of India
4. Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, All States Governments and Union territory Administrations
5. Dy Director General of Forests (Central) All Regional Offices of the MoEF&CC

6. Nodal Officers, dealing with the matters related to the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, All States Governments and Union territory Administrations
7. Head, NIC, MoEFCC for aligning the PARIVESH 2.0 as per above

Annexure III

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi: 110003
Dated: March, 2025

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Maharashtra,
Manrtalaya Mumbai

Sub: Permitting double the degraded forest land in lieu of non-forest land for certain projects taken up by CPSU / SPSU and other government agencies - reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the State Government of Maharashtra's letter no. FLD-2025/CR-42/F-10 dated 25.02.2025 on the above subject seeking advise from the Ministry on the implementation of the Guidelines related to compensatory afforestation vis-à-vis directions passed by the Hon'ble Supreme Court in its order dated 3.02.2025. In this connection, it is to inform that after examination of the concerns of the State Government, the following is informed:

i. As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, there is no requirement of certificate from the State Government certifying the non-availability of the non-forest land for the projects of Central PSU/entities and captive coal blocks of the State PSUs.
ii. The provisions of the amendment Rules 2024, have further been clarified by the Central Government in its Guidelines issued on 17.12.2024 (copy enclosed). The same may be adhered to by the processing authorities in the State.
iii. In light of directions contained in the Hon'ble Supreme Court's order dated 3.02.2025 and 4.03.2025, it is further to inform that no forest land should be diverted without compensatory afforestation for which land is to provided in accordance with relevant provisions provided under the Van (Sanrakhan Evam Samvardhan) Rules, 2023 (as amended) and Guidelines issued thereunder.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Digitally signed by
CHARAN JEET SINGH
Date: 17-03-2025
09:33:49

(Charan Jeet Singh)
Scientist 'E'

Copy to:

1. Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, State Government of Maharashtra, Nagpur
2. Dy Director General of Forests (Central), Regional Offices of the MoEF&CC at Nagpur
3. Nodal Officer (Sanrakshan Evam Samvardhan), O/o the PCCF, State

Government of Maharashtra, Nagpur
4. Guard File.

Annexure IV

नॉर्दर्नकोलफील्ड्सलिमिटेड
(मिनीरत्नकंपनी)
(कोलइण्डियालिमिटेडकीअनुषंगीकंपनी)

एन सी एल
NCL

Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

महाप्रबंधक कार्यालय / Office of the General Manager
CIN- U10102MP1985GOI003160
An ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO45001 Certified Company
बीना परियोजना, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.) पिन- 231220 / Post- Bina Project, Distt- Sonebhadra (U.P.)- 231220
Phone :05446-276279 (O), 267280 (R) e-mail :cgmbin.ncl@coalindia.in Website :www.nclcil.in

क्र: बीना/ पर्या०/ उ०प्र०/ वन/ 2025/ 44 दिनांक: ~~02~~ 05.01.2025

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट

विषय:- जनपद - सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० आरक्षित वन भूमि के लिए 61 हे० degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम को सहमति प्रदान करने बावत।

संदर्भ:-

1. प्रस्ताव संख्या :- FP/UP/MIN/24551/2017
2. इस कार्यालय का पत्रांक - 35; दिनांक: 07.10.2024
3. आपका कार्यालय का पत्रांक - 1261/ रेनूकूट/ 15-108, दिनांक - 08.10.2024
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक: 17.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्रांक 17.12.2024 (प्रति संलग्न) के बिन्दु क्र० - (iv) का अवलोकन करने का कष्ट करें:

"As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, projects ***of Central Government entities/CPSU*** *and captive coal blocks of the State PSUs are eligible for raising* ***CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted****. Accordingly,* ***the State Government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA*** *unless in cases wherein the Central Government Agencies/CPSUs or State Government PSUs with captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the State Government/UT Administration is willing to provides non-forest land on such terms and condition which is agreed by the Central Government Agencies/CPSUs or State Government PSUs in case of captive coal blocks."*

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि Central Public Sector Undertakings के लिए अवक्रमित वन भूमि (degraded forest) क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) करवाने का

Shubhay

Annexure IV

प्रावधान उपलब्ध है। एन०सी०एल० एक Central PSU है तथा इस प्रस्ताव (FP/UP/MIN/24551/2017) हेतु बीना परियोजना के लिए 61 हे० degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम उपलब्ध है।

अतः अनुरोध है कि बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 61 हे० degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम को सहमति देते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद

भवदीय

क्षेत्रीय महाप्रबंधक, 01.2025

बीना परियोजना, एन०सी०एल०

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (पर्या० एवं वन०), एन०सी०एल०, सिंगरौली

Annexure V/P1

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट(सोनभद्र)

पत्रांक– 2925 /रेनुकूट/ 15–108 दिनांक,रेनुकूट,फरवरी, 10/2/ 2025

सेवा में,

महाप्रबन्धक
नार्दन कोल फील्ड्स लि०
बीना–सोनभद्र ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे० आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षो के पातन की अनुमति के संबंध में ।

(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/MIN/24551/2017**) ।

संदर्भः–
1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच० अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू०पी०/05/34/2022/एफ०सी०/25 दिनांक– 12.04.2022
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक– 2947/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक– 13.04.2022
3–इस कार्यालय का पत्रांक– 3298/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 20.04.2022
4–आपका पत्र दिनांक– 07 दिनांक– 13.07.2022
5–इस कार्यालय का पत्रांक– 299/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 21.07.2022
6–आपका पत्र संख्या– 19 दिनांक– 29.09.2022
7–इस कार्यालय का पत्र संख्या– 1341/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 18.10.2022
8–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक– 1676/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक– 14.11.2022
9–इस कार्यालय का पत्रांक– 1594/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 15.11.2022
10–आपका पत्र संख्या– 27 दिनांक– 25.11.2022
11–इस कार्यालय का पत्रांक– 2201/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 04.01.2023
12–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक– 2548/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक– 09.02.2023
13–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच० अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू०पी०/05/34/2022/एफ०सी०/991 दिनांक– 29.03.2023
14–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक– 3150/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक–31.03.2023
15–इस कार्यालय का पत्रांक–3339/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 01.04.2023
16–आपका पत्रांक– बीना/उ०प्र०वन/एफ०सी०/2023/6 दिनांक– 25.04.2023
17–इस कार्यालय का पत्रांक– 3833/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 17.05.2023
18–आपका पत्रांक–09 दिनांक– 31.05.2023
18–इस कार्यालय का पत्रांक– 4284/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 21.06.2023
19–आपका पत्रांक–18 दिनांक– 12.09.2023
20–इस कार्यालय का पत्रांक– 1014/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 21.09.2023
21–इस कार्यालय का पत्रांक– 3906/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 10.04.2024
22–आपका पत्र संख्या– 35 दिनांक– 07.10.2024
23–इस कार्यालय का पत्रांक– 1261/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 08.10.2024
24–आपका पत्रांक– 44 दिनांक– 02/05.01.2025 प्राप्त दिनांक–22.01.2025

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 29.03.2023 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 31.03.2023 द्वारा दो बिन्दुओ से संबंधित निम्न सूचना/अभिलेखो की मॉग की गयी :–

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच० अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू०पी०/05/34/2022/एफ०सी०/991 दिनांक– 29.03.2023 मे अंकित बिन्दु ।
1	No non –forest land is available in the State for raising Compensatory Afforestation .
2	No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chhote/bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of the State forest Department is available for raising Compensatory Afforestation

Scanned with OKEN Scanner

Annexure V/P2

उक्त दोनो बिन्दुओ से संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग के संदर्भित पत्रो द्वारा अप्रैल 2022 से लगातार आपसे अनुरोध किये जाने के उपरान्त आपके द्वारा अनुपालन न करते हुए संदर्भित पत्र दिनांक- 02/05.01.2025 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक- 17.12.2024 के बिन्दु संख्या- (iv) मे उल्लिखित निम्न विवरण का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत प्रस्ताव मे 61 हे0 अवनत वन भूमि पर सी0ए0 स्कीम की सहमति देते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

As per the provisions of the van (sanrakshan evam samvardhan) amendment rules 2024 project of central government entities/ CPSU and captive coal blocks of the state PSUs are eligible for raising CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted. accordingly, the state government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA unless in cases wherein the central government agencies/CPSUs or state government PSUs with captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the state government/ UT administration is willing to provides non-forest land on such terms and condition which is agreed by the central government agencies/ CPSUs or state government PSUs in case of captive coal blocks.

यहॉ यह उल्लेख करना है कि भारत सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक- 17.12.2024 के क्रम मे उ0प्र0 शासन/मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से अनुपालन किये जाने हेतु कोई निर्देश प्राप्त नही हुआ है । निदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्देशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा । उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष दाखिल रिट याचिका संख्या- सिविल 1164/2023 अशोक कुमार शर्मा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य मे पारित दिनांक-03.02.2025 को निम्न आदेश पारित किया गया है :-

1- Issue notice in I.A. NOS 115428/2024, 28902/2025 & 22042/2024.

2- Ms. Aishwarya Bhati, learned Additional Solicitor General of India states that replies to these applications would be filed within a period of three weeks from today.

3- She further states that a Status Report would also be placed before this Court by the next date of hearing.

4- We make it clear that until further orders, no steps will be taken by the Union of India or any of the States, which will lead to reduction of the forest ladn unless a compensatory land is provided either by the State Government or the Union of India for the purpose of afforestation.

5- List on 04.03.2025, high up on the Board.

इस प्रकार प्रश्गनत प्रकरण मे गैर वन भूमि से छूट के संबंध मे भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार के स्तर से जब तक कोई स्पष्ट आदेश प्राप्त नही होता है तब तक प्रश्गनत प्रकरण मे प्रभाग स्तर से दुगूने अवतन वन भूमि पर वृक्षारोपण के संबंध मे आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित करना संभव नही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण मे भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या- 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991 दिनांक- 29.03.2023 द्वारा मॉगी गयी सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर ही प्रभाग स्तर से आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित करना संभव हो सकेगा ।

भवदीय

(डा0 भानेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Scanned with OKEN Scanner

Annexure V | P3

नॉर्दर्नकोलफील्ड्सलिमिटेड
(मिनीरत्नकंपनी)
(कोलइण्डियालिमिटेडकीअनुषंगीकंपनी)

Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

महाप्रबंधक कार्यालय / Office of the General Manager
CIN- U10102MP1985GOI003160
An ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 & ISO45001 Certified Company
बीना परियोजना, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.) पिन- 231220 / Post- Bina Project, Distt- Sonebhadra (U.P.)- 231220
Phone :05446-276279 (O), 267280 (R) e-mail :cgmbin.ncl@coalindia.in Website :www.nclcil.in

क्र: बीना/ उ०प्र०/ वन/ 2025/ 58 दिनांक: 07.05.2025

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट

विषय:- जनपद - सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० आरक्षित वन भूमि के लिए 61 हे० degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम को सहमति प्रदान करने बावत्।

संदर्भ:-

1. प्रस्ताव संख्या :- FP/UP/MIN/24551/2017
2. इस कार्यालय का पत्रांक - 35; दिनांक: 05.01.2025
3. आपका कार्यालय का पत्रांक- 2725 / रेनुकूट /15-108 दिनांक: 10.02.2025
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक: 17.03.2025

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्रांक 17.03.2025 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें:

i. As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, there is no requirement of certificate from the State Government certifying the non-availability of the non-forest land for the projects of Central PSU/entities and captive coal blocks of the State PSUs.

ii. The provisions of the amendment Rules 2024, have further been clarified by the Central Government in its Guidelines issued on 17.12.2024 (copy enclosed). The same may be adhered to by the processing authorities in the State.

इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 17.12.2024 (प्रति संलग्न) के बिन्दु क्र० - (iv) का भी अवलोकन करने का कष्ट करें:

*"As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, projects **of Central Government entities/CPSU** and captive coal blocks of the State PSUs are eligible for raising **CA over degraded forest land which will be***

Annexure V/P4

double in extent of the forest land being diverted. Accordingly, ***the State Government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA*** *unless in cases wherein the Central Government Agencies/CPSUs or State Government PSUs with captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the State Government/UT Administration is willing to provides non-forest land on such terms and condition which is agreed by the Central Government Agencies/CPSUs or State Government PSUs in case of captive coal blocks."*

उपरोक्त पत्रों से यह स्पष्ट है कि Central Public Sector Undertakings के लिए गैर-वन भूमि की अनुपलब्धता को प्रमाणित करने हेतु राज्य सरकार से प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है एवं Central Public Sector Undertakings के लिए दोगुने अवक्रमित वन भूमि (double degraded forest) क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) करवाने का प्रावधान उपलब्ध है।

उपरोक्त पत्र से यह भी स्पष्ट है कि राज्य में प्रसंस्करण प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की गाइडलाइन्स दिनांक: 17.12.2024 का पालन किया जा सकता है।

एन०सी०एल० एक Central PSU है तथा इस प्रस्ताव (FP/UP/MIN/24551/2017) हेतु बीना परियोजना के लिए 61 हे० degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम उपलब्ध है।

अतः अनुरोध है कि बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 61 हे० degraded वन क्षेत्र में प्रस्तावित CA स्कीम को सहमति देते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद

भवदीय

क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
बीना परियोजना, एन०सी०एल०

प्रतिलिपि: महाप्रबंधक (पर्या०/ वन), एन०सी०एल०, सिंगरौली।

Annexure V/P5

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट(सोनभद्र)

पत्रांक–4366 /रेनुकूट/ 15–108 दिनांक,रेनुकूट,मई, 21, 2025

सेवा में,

महाप्रबन्धक
नार्दन कोल फील्डस लि0
बीना–सोनभद्र ।

विषयः– नार्दन कोल फील्डस लि0 की बीना
जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत 30.50 हे0 आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षो के
परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु के संबंध में ।
लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षो के पातन की अनुमति के संबंध में ।
(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/MIN/24551/2017) ।

संदर्भः–
1–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/25 दिनांक– 12.04.2022
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–2947/11–सी– FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक– 13.04.2022
3–इस कार्यालय का पत्रांक– 3298/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 20.04.2022
4–आपका पत्र दिनांक– 07 दिनांक– 13.07.2022
5–इस कार्यालय का पत्रांक– 299/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 21.07.2022
6–आपका पत्र संख्या– 19 दिनांक– 29.09.2022
7–इस कार्यालय का पत्र संख्या– 1341/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 18.10.2022
8–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1676/11–सी– FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक– 14.11.2022
9–इस कार्यालय का पत्रांक– 1594/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 15.11.2022
10–आपका पत्र संख्या– 27 दिनांक– 25.11.2022
11–इस कार्यालय का पत्रांक– 2201/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 04.01.2023
12–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–2548/11–सी– FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक– 09.02.2023
13–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991 दिनांक– 29.03.2023
14–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–3150/11–सी– FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक–31.03.2023
15–इस कार्यालय का पत्रांक–3339/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 01.04.2023
16–आपका पत्रांक– बीना/उ0प्र0वन/एफ0सी0/2023/6 दिनांक– 25.04.2023
17–इस कार्यालय का पत्रांक– 3833/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 17.05.2023
18–आपका पत्रांक–09 दिनांक– 31.05.2023
18–इस कार्यालय का पत्रांक– 4284/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 21.06.2023
19–आपका पत्रांक–18 दिनांक– 12.09.2023
20–इस कार्यालय का पत्रांक– 1014/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 21.09.2023
21–इस कार्यालय का पत्रांक– 3906/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 10.04.2024
22–आपका पत्र संख्या– 35 दिनांक– 07.10.2024
23–इस कार्यालय का पत्रांक– 1261/रेनुकूट/15–108 दिनांक– 08.10.2024
24–आपका पत्रांक– 44 दिनांक– 02/05.01.2025 प्राप्त दिनांक–22.01.2025
25–इस कार्यालय का पत्रांक– 2755/रेनुकूट/15–108 दिनांक–10.02.2025
26–आपका पत्रांक– 58 दिनांक– 07.05.2025

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 29.03.2023 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 31.03.2023 द्वारा दो बिन्दुओ से संबंधित निम्न सूचना/अभिलेखों की मांग की गयी :–

क्र0 सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991 दिनांक– 29.03.2023 मे अंकित बिन्दु ।
1	No non –forest land is available in the State for raising Compensatory Afforestation .
2	No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chhote/bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of the State forest

Scanned with CamScanner

Annexure V / P6.

Department is available for raising Compensatory Afforestation

उक्त दोनो बिन्दुओ से संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग के संदर्भित पत्रों द्वारा अप्रैल 2022 से लगातार आपसे अनुरोध किये जाने के उपरान्त आपके द्वारा अनुपालन न करते हुए संदर्भित पत्र दिनांक– 02/05.01.2025 तथा 07.05.2025 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक– 17.12.2024 के बिन्दु संख्या– (iv) मे उल्लिखित निम्न विवरण का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत प्रस्ताव मे 61 हे0 अवनत वन भूमि पर सी0ए0 स्कीम की सहमति देते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

As per the provisions of the van (sanrakshan evam samvardhan) amendment rules 2024 project of central government entities/ CPSU and captive coal blocks of the state PSUs are eligible for raising CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted. accordingly, the state government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA unless in cases wherein the central government agencies/CPSUs or state government PSUs with captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the state government/ UT administration is willing to provides non-forest land on such terms and condition which is agreed by the central government agencies/ CPSUs or state government PSUs in case of captive coal blocks.

यहाँ यह उल्लेख करना है कि भारत सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक– 17.12.2024 एवं 17.03.2025 के क्रम मे उ0प्र0 शासन/मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से अनुपालन किये जाने हेतु कोई निर्देश प्राप्त नही हुआ है । निदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्देशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा । उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष दाखिल रिट याचिका संख्या– सिविल 1164/2023 अशोक कुमार शर्मा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य मे पारित दिनांक–03.02.2025 को निम्न आदेश पारित किया गया है :–

1- Issue notice in I.A. NOS 115428/2024, 28902/2025 & 22042/2024.
2- Ms. Aishwarya Bhati, learned Additional Solicitor General of India states that replies to these applications would be filed within a period of three weeks from today.
3- She further states that a Status Report would also be placed before this Court by the next date of hearing.
4- We make it clear that until further orders, no steps will be taken by the Union of India or any of the States, which will lead to reduction of the forest ladn unless a compensatory land is provided either by the State Government or the Union of India for the purpose of afforestation.
5- List on 04.03.2025, high up on the Board.

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण मे गैर वन भूमि से छूट के संबंध मे भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार के स्तर से जब तक कोई स्पष्ट आदेश प्राप्त नही होता है तब तक प्रश्नगत प्रकरण मे प्रभाग स्तर से दुगूने अवतन वन भूमि पर वृक्षारोपण के संबंध मे आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित करना संभव नही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण मे भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर एच0 अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या– 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991 दिनांक– 29.03.2023 द्वारा माँगी गयी सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर ही प्रभाग स्तर से आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित करना संभव हो सकेगा ।

भवदीय

(डा0 भानेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Scanned with CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@nic.in

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/991 दिनॉक : 29.03.2023

सेवा में,

अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/Min/24551/2017

विषय : जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 आरक्षित वनभूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किए जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन के सम्बंध में।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0प्र0 का पत्रांकः 2548/11–सी–FP/UP/Min/24551/2017, दिनांक 09.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक 304/81–2–2022–800(106)/2021, लखनऊ, दिनांक–10.03.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

कार्यालय के पत्र दिनांक 12.04.2022 द्वारा प्रकरण में सूचनाए मांगी गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुयी। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके–

Stage Govt. should provide following certificates-

1. No non-forest land is available in the State for raising Compensatory Afforestation.
2. No other category of forest land such as revenue lands/zudupi jungle/chhote/bade jharka jungle which is not under the management and/or administrative control of the State forest Department is available for raising Compensatory Afforestation.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
4. महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, बीना परियोजना, बीना–सोनभद्र।
5. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

29.03.2023

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}